



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2017/माघ 14, 1938

No. 312]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2017/MAGHA 14, 1938

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

का.आ. 345(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 1 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1935(अ) का संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में ,-

- (i) क्रम संख्या 1 में, स्तंभ संख्या (4) में प्रविष्टि "(1) हरियाणा राज्य" का लोप किया जाता है।
- (ii) क्रम सं. 5 में, स्तंभ संख्या (4) में, प्रविष्टि (4) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(5) हरियाणा राज्य"।

[फा.सं.ए-45011/80/2016-एड.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, तारीख 1 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.1935 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2017

S.O. 345(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby amends the notification of the Ministry of Corporate Affairs number S.O. 1935 (E) dated the 1st day of June, 2016, namely:—

2. In the said notification, in the Table,-

- (i) In serial number 1, in column number (4), the entry “(1) State of Haryana”, shall be omitted.
- (ii) In serial number 5, in column number (4), after entry (4), the following entry shall be inserted, namely:—
“(5) State of Haryana”.

[F.No. A-45011/80/2016-Ad.IV)]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1935(E) dated the 1st day of June, 2016.